न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 136/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
जुगताराम पुत्र अमराराम जाति माली निवासी अम्बाबाडी तहसील शिव जिला बाडमेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा मुकदमा कमांक/राजस्व/2017/90 दिनांक 1–1–2017 जिसके द्वारा गांव अम्बावाडी के खसरा नंबर 42, 43 व 52 की भूमि मे रास्ता दर्ज करने बाबत आदेश पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 10–12–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 तहसीलदार शिव की ओर से राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे रास्तो की समस्याओ के समाधान हेतु चलाये गये रास्ता अभियान जिसमे मौके का सर्वे करवाकर मौके पर चालू रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अंकन करवाने हेतु पटवार मण्डल शिव एवं बलाई के राजस्व ग्राम शिव, अम्बावाडी एवं लालसो की ढाणी के विभिन्न खसरा नंबरान मे चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे सस्ता दर्ज करवाने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रेषित किया गया । उक्त प्रस्तावित खसरा नंबरान की भूमि मे से अपीलांटगण के ग्राम अम्बावाडी स्थित खसरा नंबर 42 व 43 की कमशः 0.05 एवं 1.00 बीघा भूमि भी शामिल है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार शिव द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित खसरा नंबरान एवं उनके आगे अंकित रकबे की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता के रूप मे दर्ज करने के आदेश दिनांक 1–1–2017 को पारित करते हुए राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे अंकन करने के आदेश तहसीलदार शिव को पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खातेदारान की खातेदारी की भूमि मे से सीधे रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नही किया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी के खसरा नंबर 42 व 43 की भूमि मे से रास्ते की किसी ने कोई मांग नही की फिर भी मनमर्जी से प्रकरण बनाकर अपीलांट के खातेदारी के खसरा नंबरान मे से रास्ता दर्शाते हुए खातेदारी भूमि का रकबा कम कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायिक परिभाषां मे नही आता है क्योकि बिना सहमति के खातेदारो की खातेदारी की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता मे दर्ज नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैद्यानिक होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन कियां कि अपीलांट के खातेदारी के खसरा नंबरान 42, 43 व 52 मे से कोई रास्ता नहीं निकलता है बल्कि रास्ता खसरा नंबर 590/43 व 591/43 की भूमि मे से चलता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के खसरा नंबर 42 व 43 की सीमा पर वर्षो पुरानी तारबंदी की हुई है तथा इसके बाद रास्ता स्थित है, जो खसरा नंबर 590/43 एवं 591/43 की भूमि मे चल रहा है परंतु अधीनस्थ न्यायालय नें मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट तलब किये बिना जल्दबाजी मे उनके समक्ष तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–1–2017 को अपास्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो की उपस्थिति मे रास्तो का मौका निरीक्षण कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार शिव ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रही भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष विधिवत दस्तावेजात के साथ प्रेषित किया जाने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज़ करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–1–2017 का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध मे अपनाई की प्रक्रिया आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसीलदार शिव ने उनके अधीन राजस्व ग्राम शिव के खसरा नंबर 728/58, 51 तथा राजस्व ग्राम अम्बावाडी के खसरा नंबरान 52, 591/43, 42, 43, 590/43, 41, 901/41, 902/41, 903/41, 445, 619/445, 587/41, 588/41, 617/445, 618/445 एवं राजस्व ग्राम लालसो की ढाणी के खसरा नंबरान 70/12, 40 की भूमि मे से चल रहे चालू रास्ते जो आवागमन के काम आ रहे है

परंतु अभी तक खातेदारो की खातेदारी मे चली आ रही है, उनका राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया तथा प्रस्ताव के साथ मे केवल राजस्व नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ते की भूमि को लाल स्याही से दर्शाते हुए सलंग्न प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव ने तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को दर्ज रजिस्टर किये बिना ही तथा उक्त प्रस्ताव मे वर्णित खसरा नंबरान के खातेदारान को नोटिस देकर उन्हे सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही प्रस्तावित रकंबे की भूमि का राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी से गै0मु0रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये । उक्त प्रस्तावित भूमि मे से अपीलांट की ग्राम अम्बावाडी स्थित खातेदारी के खसरा नंबर 42 व 43 की भूमि रकबा क्रमशः 0.05 बीघा तथा 1.00 बीघा भी शामिल है । जबकि बिधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे मे कमी–बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया हुआ होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–1–2017 मे से अपीलांट की ग्राम अम्बावाडी स्थित खातेदारी के खसरा नंबर 42 व 43 मे से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा क्रमशः 0.05 बीघा तथा 1.00 बीघा भूमि को गै0मु0रास्ते मे दर्ज करने बाबत पारित किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटगण की उपस्थिति मे उसके खातेदारी के खेत मे से चल रहे रास्ते का मौका निरीक्षण कर, उसे सुनकर यदि उसके खातेदारी के खसरा नंबर 42 व 43 मे से रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है तो उसे बंद किये बिना उसका प्रस्ताव पृथक से बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव को प्रेषित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 10–12–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर